

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. 1267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125, sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the 13th October, 2017.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 6—

(I) in sub-rule (1),—

(a) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31st October, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st October, 2017.”;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that transfer of shares by the companies to the Fund shall be deemed to be transmission of shares and the procedure to be followed for transmission of shares shall be followed by the companies while transferring the shares to the fund.”.

(II) in sub-rule(3), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely;—

‘(d) For the purposes of effecting the transfer shares held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholder, to the company, for issue of a new share certificate;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a new share certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of the certificate that “Issued in lieu of share certificate No..... for the purpose of transfer to IEPF” and the same be recorded in the register maintained for the purpose;

(iii) particulars of every share certificate shall be in Form No. SH-1 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of a new share certificate, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.’;

(III) after sub-rule (12), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(13) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under sub-rules (10), (11) and sub-rule (12) shall be remitted into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank.

(14) Authority shall furnish its report to the Central Government as and when non-compliance of the rules by companies came to its knowledge.”.

3. In the principle rules, in rule 7—

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2A) Every company which has deposited the amount to the Fund shall nominate a Nodal Officer for the purpose of coordination with IEPF Authority and communicate the contact details of the Nodal Officer duly indicating his or her designation, postal address, telephone and mobile number and company authorized e-mail ID to the IEPF Authority, within fifteen days from the date of publication of these rules and the company shall display the name of Nodal Officer and his e-mail ID on its website.”;

(b) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case of non receipt of documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of filing of Form IEPF-5, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.”;

(c) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case of non receipt of rectified documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of such communication, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.”.

[F. No. 05/17/2017-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 854(E) dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R 178(E), dated the 28th February, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.14 16:46:48 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 145]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 178(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित और धारा 124 की उपधारा (6) और धारा 125 की उपधारा (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये नियम तारीख 28 फरवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
- विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(घ) “कंपनी” से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में परिभाषित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित “सदृश नए बैंक” और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित ‘अनुषंगी बैंक’ शामिल हैं।

(घक) “कारपोरेट कार्रवाई” से कंपनी द्वारा प्राधिकरण को राइट्स इश्यू को छोड़कर बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, फ्रैक्शन शेयर आदि के अंतरण के संबंध में की गई कोई कार्रवाई और ऐसे शेयरों पर प्राप्त सभी लाभ अभिप्रेत हैं;

3. मूल नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:
'(छ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख की उपधारा (3), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख और भारतीय स्टेट बैंक (अनुपंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 40क में यथाउल्लिखित सभी देय राशियां; और'
4. मूल नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
"6. धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन निधि में शेयरों के अंतरण की रीति -
(1) इन शेयरों को प्राधिकरण के डीमैट खाते में, जिसे उक्त प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा कोष में अंतरण के लिए देय होने के 30 दिनों के भीतर खोला जाएगा जमा किया जाएगा:
परंतु कि, यदि हिताधिकारी स्वामी ने पिछले सात वर्षों के दौरान किसी लाभांश अधिपत्रों को भुनाया है तो ऐसे शेयरों को, कुछ लाभांश अधिपत्रों को भुनाने के लिए शेष होने के बावजूद भी कोष में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी:
परंतु यह और कि धारा 124 की उपधारा (5) के अधीन उल्लिखित सात वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई हो या 7 सितंबर, 2016 से 31 मई, 2017 के अवधि के दौरान ये सात वर्ष पूरे हो रहे हों तो तारीख 31 मई, 2017 को इन शेयरों के अंतरण की देय तारीख माना जाएगा।
(2) इन शेयरों के अंतरण के प्रयोजनार्थ बोर्ड कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
(3) शेयरों के अंतरण के समय कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-
(क) कंपनी शेयरों के अंतरण की देय तारीख के तीन मास पूर्व संबंधित शेयरधारक को उनके वर्तमान उपलब्ध पते पर शेयरों के अंतरण के संबंध में सूचित करेगी और साथ ही व्यापक परिचालन वाले अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के मुख्य समाचार पत्र में एक साथ सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उनके वेबसाइट पते का उल्लेख होगा और संबंधित शेयरधारक को यह सूचना दी जाएगी कि शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियों संख्या या डीपीआईडी - ग्राहक पहचान पत्र आदि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
(ख) यदि न्यायालय या अधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का ऐसे शेयर का अंतरण रोकने का विनिर्दिष्ट आदेश हो और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन लाभांश या शेयरों के संदाय को गिरवी या बंधक रखा गया हो या उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन शेयरों को पहले से ही अंतरित कर दिया गया हो तो, कंपनी इन शेयरों को निधि में अंतरित नहीं करेगी:
परंतु कंपनी वित्तीय वर्ष पूरे होने के 30 दिनों के भीतर प्ररूप सं. आईईपीएफ - 3 में प्राधिकरण को इन शेयरों और संदत्त लाभांशों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।
(ग) अंतरण के प्रयोजनार्थ, यदि शेयरों में निक्षेपागार में ब्यौहार किया जाता तो है -
(i) प्राधिकरण में अंतरण के लिए शेयरधारकों का खाता हो, तो कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से सूचना देगी।
(ii) ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् निक्षेपागार प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण करेगा।
(घ) जहां शेयर भौतिक रूप में रखे गए हों तो उनके अंतरण के प्रयोजनार्थ -
(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित शेयरधारकों की ओर से कंपनी को अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन करेगा;
(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक शेयरधारक के लिए अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर यह लिखा जाएगा और इस उद्देश्य के लिए रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा, कि अनुलिपि प्रमाणपत्र को "आईईपीएफ में अंतरण के उद्देश्य से शेयर प्रमाणपत्र सं. के लिए जारी किया गया है" और "अनुलिपि" शब्द पर मुहर लगाई जाएगी या शेयर प्रमाणपत्र के प्रथम पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में टंकित किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त अनुसार जारी किए गए प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र के ब्यौरे कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नए और अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र रजिस्टर में प्ररूप सं. एसएच-2 में रखे जाएंगे।

(iv) अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट प्रारूप में बदलने और प्राधिकरण में अंतरण के लिए सूचित करेगी।

- (4) कंपनी कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से ऐसे अंतरण करेगी और अपने अभिलेख के लिए उसकी प्रति संरक्षित रखेगी।
- (5) इस प्रकार का अंतरण करते समय कंपनी प्ररूप सं. आईईपीएफ - 4 में निधि को विवरण भेजेगी जिसमें अंतरण के ब्यौरे होंगे।
- (6) निधि को अंतरित शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक शिथिल रहेगा जब तक इसके सही स्वामी इन शेयरों का दावा न करें:

परंतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अर्जन) विनियमन, 2011 के उद्देश्य के लिए ऐसे शेयर जिन्हें प्राधिकरण को अंतरित नहीं किया गया है, को कुल मतदान अधिकार की गणना के समय गणना से बाहर नहीं रखा जाएगा।

(7) कंपनी उस प्रत्येक शेयरधारक के शेयरधारण का विवरण रखेगी जिनके शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किए गए हैं।

(8) राइट्स इश्यू को छोड़कर ऐसे शेयरों से प्राप्त लाभ जैसे बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, शेयरों का अंश आदि भी ऐसे डीमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे।

(9) ऐसे डीमैट खाते में रखे गए शेयरों का दावेदार को, जब वह प्राधिकरण से आवेदन करे, वापस अंतरण करने या उप नियम (10) और (11) के अनुसरण में विहित को छोड़कर अन्य किसी रीति से अंतरण या निपटान किया जाएगा।

(10) यदि कंपनी को असूचीबद्ध किया है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्य शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसरण में शेयरधारकों की ओर से शेयर लौटा देगा और प्राप्त आय निधि में जमा की जाएगी तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(11) यदि ऐसी कंपनी, जिसके शेयर और प्रतिभूतियां प्राधिकरण के द्वारा धृत हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण प्रतिभूति धारक की ओर से हकदार राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों को लौटाएगा और राशि को निधि में जमा करवाएगा तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(12) ऐसे शेयरों पर प्राप्त कोई अन्य लाभांश निधि में जमा करवाया जाएगा और ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“7. निधि से दावाकर्ताओं को प्रतिदाय” :-

(1) कोई व्यक्ति, जिसके शेयर, अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर वापस लौटाने के लिए आवेदन राशि, या उस पर ब्याज, फंक्शनल शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां, अधिमानी शेयरों के मोचन से प्राप्तियां आदि निधि में अंतरित कर दी गई हैं तो वह धारा 124 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन शेयरों का दावा कर सकता है या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क सहित वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्ररूप आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके प्राधिकरण से यथास्थिति धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) या धारा 125 की उपधारा (3) के परंतुक, के अधीन राशि लौटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) दावेदार नियम (1) के अधीन प्ररूप आईईपीएफ-5 में आवेदन करने के बाद प्ररूप आईईपीएफ-5 में बताए गए अपेक्षित दस्तावेजों सहित स्वयं द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आवेदन को अपने दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजेगा।

(3) कंपनी दावा प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर दावेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों सहित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्राधिकरण को एक सत्यापन रिपोर्ट भेजेगी।

(4) दावेदार की पात्रता के सत्यापन के पश्चात् –

- (क) दावा की गई राशि के लिए, प्राधिकरण और फिर प्राधिकरण का आहरण और वितरण अधिकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय को एक बीजक भेजेंगे।
- (ख) दावा किए गए शेयरों के लिए, प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक प्रतिदाय अनुमोदन आदेश जारी करेगा और दावेदार की पात्रता के अनुसार दावेदार के डीमैट खाते में शेयर जमा करेगा।

(5) प्राधिकरण, अपने अभिलेखों में, उप-नियम (4) के अधीन किए गए सभी भुगतानों पर एक टिप्पणी लिखेगा।

(6) इस नियम के अधीन संबंधित कंपनी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किसी दावे के प्रतिदाय के लिए प्राप्त किसी आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा कंपनी से सभी प्रकार से पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा और साठ दिन से अधिक की किसी देरी के लिए कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए अभिलिखित किया जाएगा और उसके बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दावेदार को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि आवेदन अपूर्ण है या अनुमोदित नहीं किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन की कमियों का विवरण देते हुए दावेदार और संबंधित कंपनी को एक संसूचना भेजी जाएगी।

(8) यदि दावेदार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकारी के पास कोई दावा फाइल करने से पूर्व कंपनी द्वारा संचरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(9) यदि दावेदार किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है अथवा यदि शेयरों के अंतरण या संचरण का अनुरोध कंपनी द्वारा प्राधिकारी को शेयरों के अंतरण को रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उक्त प्रतिभूति के लिए उसकी पात्रता बताते हुए दावेदार को एक पत्र भेजेगा और ऐसे दावेदार के दावे का सत्यापन करते हुए उस पत्र की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा।

(10) दावेदार एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी के संबंध में केवल एक समेकित दावा ही फाइल कर सकता है।

(11) सभी परिस्थितियों, किसी विवाद या मुकद्दमे, जो सत्यापन रिपोर्ट में किसी विषमता या असंगति या असमानता के कारण या अन्यथा शुरू किया गया है, कंपनी प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदार होगी, और प्राधिकरण जमा की गई सत्यापन रिपोर्ट आदि में किसी प्रकार की विसंगति के कारण किसी मुकद्दमे या शिकायत के लिए किसी देयता के लिए प्रतिभूतिधारक या कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6. मूल नियमों में –

(i) प्ररूप आईईपीएफ 3 और आईईपीएफ 5 में, “बैंक” और “बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)” जहां-जहां भी शब्द आते हैं, का लोप किया जाएगा :

(ii) प्ररूप आईईपीएफ 6 में क्रम संख्या 5 में

“सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन (पहले से भरा हुआ)”

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –

“सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन (पहले से भरा हुआ)

आईईपीएफ 1 के लिए एसआरएन की कुल संख्या (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन (पहले से भरा हुआ)”

[फा. सं. 05/23/2016-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854 असाधारण द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**New Delhi, the 28th February, 2017

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force from the 28th February, 2017.
2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the Principal rules) in rule 2, in sub-rule (1), for sub-rule (d), the following shall be substituted, namely:
 - (d) “Company” means a company defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes ‘corresponding new bank’ as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and ‘subsidiary bank’ as defined in clause (k) of section 2 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959);
 - (da) “Corporate action” means any action taken by the company relating to transfer of shares and all the benefits accruing on such shares namely, bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue to the Authority;
3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (2) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and section 40A of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959; and’.
4. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

“6. Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.- (1) The shares shall be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority for the said purpose, within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed:

Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31st May, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st May, 2017.

 - (2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.
 - (3) The company shall follow the following procedure while transferring the shares, namely:-
 - (a) The company shall inform, at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation informing the concerned that the names of such shareholders and their folio number or DP ID - Client ID are available on their website duly mentioning the website address.

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996 or shares already been transferred under sub-rule (1) above, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year.

(c) For the purposes of effecting the transfer, where the shares are dealt with in a depository-

(i) the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

(ii) on receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is “Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF” and the word “duplicate” shall be stamped or punched in bold letters on the first page of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH-2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.

(4) The company shall make such transfers through corporate action and shall preserve copies for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) The company shall maintain the details of shareholding of each individual shareholders whose shares have been credited to the DEMAT account of the Authority.

(8) All benefits accruing on such shares e.g., bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue shall also be credited to such DEMAT account.

(9) The shares held in such DEMAT account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

(10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

- (11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.
- (12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds”.
5. In the principal rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-
- “7. Refund to claimants from Fund.- (1) Any person whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares etc., has been transferred to the Fund, may claim the shares under proviso to sub-section (6) of section 124 or apply for refund under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with fee specified by the Authority from time to time in consultation with the Central Government.
- (2) The claimant shall after making an application in Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.
- (3) The company shall, within fifteen days from the date of receipt of claim, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all the documents submitted by the claimant.
- (4) After verification of the entitlement of the claimant-
- (a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines,
- (b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall credit the shares to the DEMAT account of the claimant to the extent of the claimant’s entitlement.
- (5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).
- (6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed off by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.
- (7) In cases, where the application is incomplete or not approved, a communication shall be sent to the claimant and the concerned company by the Authority detailing deficiencies of the application.
- (8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered share holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.
- (9) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of any other registered security or in cases where request of transfer or transmission of shares is received after the transfer of shares by company to the Authority, the company shall verify all requisite documents required for registering transfer or transmission and shall issue letter to the claimant indicating his entitlement to the said security and furnish a copy of the same to the Authority while verifying the claim of such claimant.
- (10) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.
- (11) The company shall be liable under all circumstances whatsoever to indemnify the Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise and the Authority shall not be liable to indemnify the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc., leading to any litigation or complaint arising thereof.”.

6. In the principal rules, -

(i) in forms IEPF-3 and IEPF-5, the word “/bank” and “/Bank Corporate Identification Number (BCIN)” shall be omitted, wherever they are occurring;

(ii) in form IEPF -6, in serial number 5, for-

“SRN of relevant form IEPF-6

SRN of relevant form IEPF-1

the following shall be substituted, namely:-

“SRN of relevant form IEPF-6

Total Number of SRNs for IEPF-1

SRN of relevant form IEPF-1

[F. No. 05/23/2016-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, subsection (i) vide number GSR 854 (E), dated the 5th September, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938

No. 618]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 854(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), धारा (2), धारा (3), धारा (4), धारा (8), धारा (9), धारा (10) और धारा (11) और धारा 124 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम, व्याप्ति और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 07 सितम्बर, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित 'तत्स्थानीय नए बैंक' सम्मिलित हैं;

- (ड) “विद्यमान आईईपीएफ” से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;
- (च) “निधि” से अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;
- (छ) “विनिधानकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की किसी स्कीम या योजना के अधीन शेयरों या डिबेंचरों, बंधपत्र या जमा में धन लगाया है;
- (ज) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियमों में दिए गए हैं।

3. निधि.- (1) प्राधिकरण निधि का प्रशासन करेगा।

(2) निधि में निम्नलिखित राशियां जमा की जाएंगी, अर्थात्:-

- (क) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ड) में यथाउल्लिखित संदेय सभी रकम;
- (ख) अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (6) के अनुसार सभी शेयर;
- (ग) उपर्युक्त (ख) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रखे गए शेयरों से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी फायदा;
- (घ) इन नियमों के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्णित ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली सभी राशियां;
- (च) प्राधिकरण द्वारा किसी वर्ष में अर्जित सभी आय;
- (छ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख की उपधारा (3) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख में यथाउल्लिखित संदेय सभी राशियां;
- (ज) अधिनियम में परिकल्पित प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत जाने वाली अन्य सभी राशियां;

(3) कंपनियों के सावधिक जमाओं और डिबेंचरों के मामले में ऐसे सावधिक जमा और डिबेंचरों की परिपक्व रकम के अंतरण के साथ देय अप्रदत्त या अदावाकृत ब्याज भी निधि में अंतरित की जाएगी।

(4) (क) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) [खंड (छ) के सिवाय] के अधीन प्रोद्भूत सभी रकम भारत की संचित निधि में मुख्य शीर्ष '0075-प्रकीर्ण साधारण सेवाएं- 104 – अदावाकृत और असंदत्त लाभांश, जमा और डिबेंचर आदि' के अधीन जमा की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन जमा की गई रकम के साथ ऐसी राशियां विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद का विहित अनुमोदन लेकर निधि के ब्याज मुक्त सार्वजनिक खाते में अंतरित की जाएगी। इस ब्याज मुक्त सार्वजनिक खाते को आईईपीएफ निधि कहा जाएगा और इसका उपयोग अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(ख) (i) कंपनियों द्वारा जमा की गई सभी राशियां प्रारंभिक तौर पर निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अधीन रखी जाएंगी -

मुख्य शीर्ष 0075 - प्रकीर्ण साधारण सेवाएं

लघु शीर्ष 104 - कंपनियों का असंदत्त लाभांश

(ii) राज्य सरकारों, कंपनियों और अन्य संस्थानों द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए निधि को दिए गए अनुदान और दान तथा निधि से किए गए निवेशों पर प्राप्त व्याज और अन्य आय एमएच 0075- प्रकीर्ण साधारण सेवाएं के नीचे एक पृथक उप शीर्ष "800 - अन्य प्राप्तियां" के अधीन रखी जाएंगी।

(iii) उपर्युक्त प्राप्ति शीर्ष के अधीन रखी गई रकम वेतन और लेखाधिकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्य शीर्ष '3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं - 797-निक्षेप निधि जमा लेखा में अंतरण - विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण' के अधीन उपयुक्त बजट उपाबंध के पश्चात् निधि लेखा में मुख्य शीर्ष '8235- साधारण और अन्य आरक्षित निधि - 116 - आईईएंडपीएफ' के अधीन अंतरित की जाएगी। यदि किसी वर्ष में प्राप्त रकम निधि में मुख्य शीर्ष 3451 के अधीन बजट उपाबंध अंतरण से अधिक है तो इस अंतर की रकम पश्चात्तवर्ती वर्ष में आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग से अनुमोदन प्राप्त करके और सुसंगत वर्ष में पर्याप्त बजट उपाबंध करते हुए निधि में अंतरित की जाएगी।

(iv) निधि से वित्तपोषित कार्यकलापों के संबंध में बजट उपाबंध मुख्य शीर्ष 3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय - विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के अधीन किए जाएंगे। इस शीर्ष के अधीन वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति निधि से की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूर्ति की गई रकम का हिसाब मुख्य शीर्ष '3451' के अधीन लघु शीर्ष '902 - कटौती - विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से पूरी की गई रकम' के नीचे कटौती प्रविष्टि के रूप में मुख्य शीर्ष - '8235 - साधारण और अन्य निक्षेप निधि - 116 - विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि' में प्रति विकलन के साथ रखी जाएगी।

4. लेखा और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण इन नियमों की अनुसूची में दिए अनुसार समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे प्ररूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक इससे विचार-विमर्श करके विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(2) प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर की जाएगी तथा ऐसी लेखापरीक्षा में हुए व्यय का संदाय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकरण की लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पास सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेष रूप से उसके पास उत्पादन बही, लेखा बही, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र की मांग करने और प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उसकी लेखापरीक्षा के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे तथा केन्द्रीय सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

5. निधि को उपलब्ध कराया जाने वाला कथन.- (1) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ड) के अधीन यथा उपबंधित निधि में कंपनियों द्वारा जमा करने के लिए अपेक्षित कोई रकम वेतन और लेखा कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रत्यायित बैंक पंजाब नैशनल बैंक के विनिर्दिष्ट शाखाओं और एमसीए21 प्रणाली को सेवाएं देने वाले अन्य प्राधिकृत बैंकों में निधि में जमा करने के लिए ऐसी रकम के देय होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा की जाएगी।

- (2) कंपनियों द्वारा यह रकम चालान (तीन प्रतियों में) के साथ पंजाब नैशनल बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं और एमसीए21 के अधीन अन्य प्राधिकृत बैंकों में जमा की जाएगी जो चालान की दो प्रतियां रकम प्राप्त करने के टोकन के रूप में विहित रूप से मुहरबंद लगाकर कंपनी को वापस करेगी। प्राप्त करने वाली शाखा द्वारा चालान की तीसरी प्रति दैनिक जमा कथन के साथ बैंक के तत्संबंधी मुख्य शाखा को वेतन और लेखा अधिकारी को भेजने हेतु अग्रेषित की जाएगी।
- (3) प्रत्येक कंपनी उपर्युक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट चालान की एक प्रति संबंधित प्राधिकारी को फाइल करेगा जिसमें निधि में रकम जमा किए जाने का कथन होगा और रकम निविदत्त जाने वाले लेखा शीर्ष सहित जमा की गई रकम का पूरा ब्यौरा भरा जाएगा।
- (4) कंपनी द्वारा उपनियम (3) में यथाअपेक्षित चालान की प्रति के साथ प्ररूप संख्या आईईपीएफ-1 के कथन में भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चालान प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को ऐसे अंतरण के ब्यौरे होंगे।
- (5) यह रकम इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा भी ऐसी रीति से जमा की जा सकती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।
- (6) (क) इस कथन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण प्रति वर्ष प्रत्येक कंपनी की बाबत वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए एक रजिस्टर में ऐसी प्रामि के ब्यौरों की प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार जमा की गई और वसूली गई रकम का मासिक आधार पर संबंधित पदनामित बैंक के साथ प्रेषण और संग्रहीत करेगा।
- (ख) प्रत्येक पदनामित बैंक प्रत्येक महीने के समाप्त होने के पश्चात् सात दिन के भीतर प्राधिकरण को महीने के दौरान ऐसी प्रामियों का सार उपलब्ध कराएगा।
- (ग) कंपनी वैसे व्यक्तियों की बाबत जिनके लिए असंदत्त या अदावाकृत रकम सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत रही हो और निधि में अंतरित कर दी गई हो, एक अभिलेख रखेगी जिसमें नाम, अंतिम ज्ञात पता, रकम, फोलियो संख्या या ग्राहक पहचान संख्या, प्रमाण पत्र संख्या, फायदाग्राही ब्यौरे आदि होंगे और प्राधिकरण को ऐसी अभिलेखों की निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (7) इस नियम के उपबंध धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (ज) से (ड) के अनुसरण में निधि में जमा की गई प्रत्यायित के संबंध में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (8) प्रत्येक कंपनी वार्षिक साधारण अधिवेशन के आयोजन की तारीख या वह तारीख जिस तारीख को उसे अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करनी चाहिए थी के नब्बे दिन की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक प्रति वर्ष सात वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, वार्षिक साधारण अधिवेशन की आयोजन की तारीख को या अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार आयोजन के लिए अपेक्षित तारीख को अधिनियम की धारा 125 की उपधारा 2 में यथाउल्लिखित अदावाकृत रकम की पहचान करेगी, उनके ब्यौरे पृथक से तैयार करेगी, और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी तथा प्राधिकरण की वेबसाइट या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य वेबसाइट पर कथन या प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से सूचना प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक अपलोड करेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :-

- (क) राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते;
- (ख) राशि की प्रकृति;
- (ग) राशि जो प्रत्येक व्यक्ति हकदार है;
- (घ) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए विहित तारीख; और
- (ड) इस प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझी जाने वाली अन्य सूचना।

6. निधि की धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन शेयरों के अंतरण की रीति.- (1) यह शेयर निधि में ऐसे शेयरों के अंतरण की तारीख देय होने के तीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा पहचान किए गए निक्षेपकर्ता भागीदारों में से एक के पास किसी एक आईईपीएफ उच्चत खाते में (कंपनी के नाम से) जमा की जाएगी:

परंतु, यदि फायदाग्राही स्वामी द्वारा पिछले सात वर्ष के दौरान कोई लाभांश वारंट भुनाया गया हो तो ऐसे शेयर निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित नहीं होंगे यहां तक कि कुछ लाभांश वारंटों का भुनाया गया हो।

(2) ऐसे शेयरों के प्रभावी अंतरण के प्रयोजन के लिए बोर्ड अपेक्षित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा।

(3) कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) कंपनी शेयरों के अंतरण से संबंधित शेयरधारक को अंतिम उपलब्ध पते पर शेयरों के अंतरण की देय तारीख से तीन माह पूर्व सूचित करेगी और इसे अग्रणी अंग्रेजी और व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के अखबार में साथ-साथ और अपनी वेबसाइट पर भी ऐसे शेयरधारकों और अंतरण के लिए देय शेयरों से संबंधित सूचना प्रकाशित करेगी:

परंतु उन मामलों में जहां धारा 124 की उपधारा (5) में दिए गए सात वर्ष पूरे हो गए हैं या इन नियमों के लागू होने की तारीख के तीन महीनों में पूरे होने जा रहे हैं, कंपनी पूर्व उल्लिखित प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी और तीन माह पूरे होने पर शेयरों का हस्तांतरण करेगी;

(ख) यदि मामले में किसी न्यायालय या अधिकरण या कानूनी प्राधिकारी का ऐसे शेयरों के किसी अंतरण और लाभांश के संदाय पर प्रतिधारित करते हुए कोई विनिर्दिष्ट आदेश हो वहां कंपनी निधि में ऐसे शेयरों का अंतरण नहीं करेगी;

परंतु, कंपनी वित्त वर्ष के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-3 में प्राधिकरण को ऐसे शेयरों और असंदत्त लाभांश के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी;

(ग) जहां शेयरों संबंधी कार्य हो वहां निक्षेपागार में उनका अंतरण करने के प्रयोजन के लिए, -

(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे शेयरधारकों की ओर से निक्षेपागार के परिदान अनुदेश पर्ची पर हस्ताक्षर करेगा जहां भागीदार शेयरधारकों के आईईपीएफ उच्चत खाते (कंपनी का नाम) के पक्ष में अंतरण के लिए उनके खाते हों;

(ii) परिदान अनुदेश पर्ची की प्राप्ति पर निक्षेपागार अपने अभिलेखों में निधि के पक्ष में शेयरों का अंतरण करवाएगा।

(घ) जहां शेयर वास्तविक रूप में रखे गए हैं वहां अंतरण करवाने के प्रयोजन के लिए,-

(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित शेयरधारकों की ओर से द्विप्रति शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन करेगा;

(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक ऐसे शेयरधारक के लिए एक द्विप्रति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस पर यह कहा जाएगा और इस प्रयोजन से रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा कि द्विप्रति प्रमाण पत्र "आईईपीएफ में अंतरण के प्रयोजन के लिए शेयर प्रमाण पत्र संख्या के बदले में जारी किया जाता है" और "द्विप्रति" शब्द शेयर प्रमाण पत्र के ऊपर मुहर द्वारा प्रमाणित तथा स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया हुआ होगा।

(iii) उपर्युक्त ढंग से जारी किए जाने वाले प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र के ब्यौरों की आगे से कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथानिर्दिष्ट प्ररूप संख्या एसएच-2 में रखे जाने वाले नवीनकृत और द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।

(iv) द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात, कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निधि में शेयर अंतरित करने के लिए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या एसएच-4 अर्थात् प्रतिभूति अंतरण प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।

(v) सम्यक रूप से भरा गया अंतरण प्ररूप और द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर बोर्ड या इसकी समिति अंतरण का अनुमोदन करेगी और तत्पश्चात कंपनी के अभिलेखों में शेयरों का अंतरण निधि के पक्ष में प्रभावी किया जाएगा।

- (4) यथास्थिति कंपनी या जमाकर्ता, अपने अभिलेखों के लिए जमा निर्देश पर्ची, अंतरण विलेख और द्विप्रति प्रमाण पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखेगा।
- (5) इस प्रकार का अंतरण करते समय, कंपनी प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में निधि को एक कथन भेजेगी जिसमें ऐसे अंतरण के ब्यौरे दिए जाएंगे।
- (6) निधि को अंतरित किए गए शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि उपयुक्त शेयरधारक इसका दावा न करे:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और अधिग्रहण) नियमन, 2011 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयर कुल मताधिकार की गणना करते समय पृथक नहीं माने जाएंगे।

- (7) एक बार प्राधिकरण के नाम में शेयरों का वास्तविक अंतरण होने के बाद प्राधिकरण इन शेयरों की वास्तविक दूर करेगा और यह केवल वही शेयर वास्तविक रूप से रखेगा जिनकी वास्तविकता दूर करना संभव न हो।
- (8) प्राधिकरण शेयरों का अधिकार रखने वाले शेयरधारकों की ओर से निक्षेपकर्ता भागीदार के साथ आईईपीएफ उच्चत खाता (कंपनी का नाम) हकदार रखेगा, अर्थात् आईईपीएफ उच्चत खाता (कंपनी का नाम) में राइट इश्यू को छोड़कर अन्य शेयरों जैसे बोनस शेयर, विघटन, समेकन, अंश शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ भी जोड़े जाएंगे।
- (9) ऐसे आईईपीएफ उच्चत खाते में रखे गए शेयर अंतरित नहीं किए जाएंगे या किसी रीति से अंतरित नहीं जाएंगे यदि निम्नलिखित उपनियम (10) और उपनियम (11) के अनुसरण में दावेदार प्राधिकरण से शेयरों को वापस अंतरित करने के लिए संपर्क न करे।
- (10) यदि किसी कंपनी का बिना सूचीबद्ध किया जा रहा है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयर का असूचीकरण) नियमन, 2009 के अनुसरण में शेयरधारकों की ओर से शेयर अभ्यर्पित कर देगा और प्राप्त आय निधि के नामे डाली जाएगी। ऐसी आगमों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।
- (11) कंपनी के मामले में, जिसके शेयर या प्रतिभूतियां प्राधिकरण की धृति हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण शेयरधारक की ओर से रकम प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियां अभ्यर्पित कर सकता है और यह रकम निधि में डाली जाएगी। ऐसी प्राप्तियों के लिए एक अलग खाता पन्ना रखा जाएगा।
- (12) इस प्रकार के शेयरों पर प्राप्त होने वाले किसी अन्य लाभांश को निधि में डाला जाएगा। ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

7. दावेदारों को निधि से धनरकम का प्रतिदाय.- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमारकम, परिपक्व डिबेंचर, प्रतिदाय के लिए बकाया आवेदन रकम या उस पर ब्याज, खंड शेयर की विक्रय आय, अधिमान शेयरों की मोचन प्राप्तियां आदि निधि में अंतरित कर दी गई हैं, प्राधिकरण को प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, में आवेदन करके धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन या धारा 124 की उपधारा (6) के परंतुक के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर यथानिर्धारित फीस के साथ प्राधिकरण को धनरकम प्रतिदाय के लिए अपने हस्ताक्षर से आवेदन कर सकता है।

(2) प्रतिदाय के लिए ऑनलाइन प्ररूप आईईपीएफ-5 में नियम 1 में आवेदन करने के बाद उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर आवश्यक दस्तावेज जो प्ररूप आईईपीएफ-5 में बताए गए हैं के साथ संबंधित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उनके दावे के सत्यापन के लिए भेजेगा।

(3) कंपनी द्वारा प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सत्यापन रिपोर्ट, दावेदार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ भेजेगी।

(4) दावेदार की हकदारी के सत्यापन के बाद –

(क) दावा किए गए राशि प्राधिकरण और उसके बाद अधिकरण के आहरण और वितरण अधिकारी ई-भुगतान के दिशानिर्देशों के अनुसार बिल वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ख) दावाकृत शेयरों के लिए प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रतिदाय स्वीकृति आदेश जारी करेगा और या तो शेयर जो आईईपीएफ के उचित खाते (कंपनी का नाम) में डिपोजिटरी भागीदार के पास पड़े हैं को दावेदार के डीमेट खाते में दावेदार की हकदारी तक जमा करेंगे या वास्तविक रूप से प्रमाण पत्रों के मामले में यदि कोई हो तो अनुलिपि को निरस्त करेगा और शेयरों को दावेदार के हक में स्थानांतरित करेगा।

(5) प्राधिकरण अपने अभिलेखों में उपरोक्त उपनियम (4) के अधीन किए गए सभी संदायों के लिए एक नोट रखाएगा।

(6) इन नियम के अधीन किसी दावे की प्रतिदाय के लिए प्राप्त आवेदन का पूर्व रूप से निबटान प्रतिदाय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अधीन किया जाएगा और साठ दिन से अधिक होने वाले किसी विलंब को प्राधिकरण द्वारा विलंब के कारण निर्दिष्ट करते हुए लिखित में दर्ज किया जाएगा और इसकी संसूचना दावेदार को लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी।

(7) आवेदन अपूर्ण होने के मामले में प्राधिकरण द्वारा दावेदार को पत्र भेजा जाएगा जिसमें आवेदन की कमियों का ब्यौरा दिया जाएगा।

(8) यदि रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूतिधारक के दावेदार के कानूनी वारिस या उतराधिकारी या प्रशासक या नामिती के मामले में उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी द्वारा परिक्षण प्रक्रिया प्राधिकरण में कोई दावा फाइल करने से पूर्व पूरी कर ली गई है।

(9) एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी के संबंध में केवल एक समेकित दावा दावेदार द्वारा फाइल किया जाएगा।

(10) सभी परिस्थितियों में कंपनी मुख्य रूप से आईईपीएफ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होगी जो सत्यापन रिपोर्ट या अन्यथा के कारण किसी विवाद या कानूनी दावा के मामले में जो कोई अनुपयुक्त या असंगति या विषमता हुआ है शुरू किया गया है। आईईपीएफ प्राधिकरण प्रतिभूतिधारक या कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट में विसंगतता के कारण हुई है जिससे विवाद या शिकायत उत्पन्न हुई।

8. निधि में देय रकम के सीधे संदाय की शक्तियां.- (1) कंपनी वित्त वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-6 में प्राधिकरण को एक कथन प्रस्तुत करेगी जिसमें अगले वित्त वर्ष में निधि को अंतरित किए जाने हेतु देय रकम का कथन दिया जाएगा।

(2) कंपनी वित्त वर्ष के अपने लेखा बंद करने के तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को एक कथन भी देगा जिसमें उपर्युक्त उपनियम (1) में वर्णित रकम से विचलन, यदि कोई हो, के कारण और निधि में वास्तविक रूप से अंतरित रकम का उल्लेख किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, वित्त वर्ष की समाप्ति के साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन कंपनियों के ब्यौरे दिए जाएंगे जिन्होंने निधि में सम्यक रकम का अंतरण नहीं किया है।

(4) प्राधिकरण, अगले वित्त वर्ष की समाप्ति तक केन्द्रीय सरकार को यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि नियम 5 के उपनियम (8) में निर्दिष्ट सूचना किन कंपनियों में फाइल नहीं की है।

9. वर्तमान आईईपीएफ की आस्तियां, देयताएं आदि प्राधिकरण को अंतरित करना.- प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही -

(क) इन नियमों से भिन्न किसी अन्य विधियों या किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में वर्तमान आईईपीएफ का कोई उल्लेख प्राधिकरण का समझा माना जाएगा;

(ख) विद्यमान आईईपीएफ की या उससे संबंधित सभी आस्तियां जंगम या स्थावर, प्राधिकरण में निहित होंगी;

(ग) वर्तमान आईईपीएफ के सभी अधिकार और देयताएं प्राधिकरण को अंतरित होंगे और उसके अधिकार तथा देयताएं होंगी;

(घ) उपर्युक्त उपनियम (ग) के उपाबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान आईईपीएफ के प्रयोजनों के लिए या इससे संबंधित उस तारीख से तत्काल पहले वर्तमान आईईपीएफ द्वारा या इसके साथ या इसके लिए किए

जाने वाली सभी संविदाओं और ऋण, बाध्यता और उदगत दायित्व सभी मामलों तथा बातों को प्राधिकरण द्वारा इसके साथ या इसके लिए किए जाने के लिए देय, हस्ताक्षरित या किया गया समझा माना जाएगा;

- (ड) उस तारीख से तत्काल पहले विद्यमान आईईपीएफ को देय समस्त धनरकम प्राधिकरण को देय समझी मानी जाएगी;
- (च) उस तारीख से तत्काल पहले विद्यमान आईईपीएफ द्वारा या इसके विरुद्ध किए गए या संभावित सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाईयों को प्राधिकरण द्वारा या इसके विरुद्ध जारी रखा जाएगा या चलाया जाएगा।

10. विवरणी और रिपोर्टें.- (1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को अपने कार्यकलापों के संबंध में ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति से ऐसे रिटर्न और विवरण तथा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपनियम (1) के उपाबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद एक सौ अस्सी दिन के भीतर पूर्व वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का एक सही और पूरा विवरण केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जोकि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य अधिकारी या किसी कर्मचारी के लिए किसी वाद या विधिक कार्यवाही प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अन्य विरुद्ध नहीं होगी।

12. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास संदाय और दावा न की गई रकम से संबंधित सूचना अपलोड करना) नियम, 2012 निरस्त किए जाते हैं।

(2) उपर्युक्त निरसन के होते हुए भी उपनियम (1) द्वारा निरस्त किए गए नियमों के अधीन किए गए या किए जाने वाले या किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी कार्रवाई, जब तक इन नियमों के उपाबंधों के साथ असंगत न हो, को इन नियमों के सदृश उपाबंधों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

अनुसूची

प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखाबही

- i. धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन अंतरित शेयरों का रजिस्टर
- ii. केंद्रीय रोकड़ बही
- iii. कंपनी-वार लेखा खाता
- iv. सधारण लेखा खाता
- v. रोकड़िया की रोकड़ बही
- vi. बैंक लेखा खाता
- vii. आस्तियों का रजिस्टर
- viii. निवेश रजिस्टर
- ix. दावा रजिस्टर
- x. धन प्रतिदाय रजिस्टर
- xi. उच्चत रजिस्टर
- xii. दस्तावेज रजिस्टर
- xiii. प्राधिकरण द्वारा निर्णय किया गया अन्य कोई रजिस्टर या बही

प्ररूप सं. आईपीएफ-1

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम,
2016 के नियम 5(4) के अनुसरण में]



विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में दी गई राशि का विशिष्टियां

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर आने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण 2- कृपया ध्यान रखें कि इस प्ररूप को एक समय में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरा जाना है।

टिप्पण- सभी * चिह्नित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

(क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन)/

बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी

3. * निधि में किए गए भुगतान के संबंध में सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) (पूर्व-पूरित)

4. निधि में धनराशि के भुगतान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

5. निधि में दी गई राशि (रूप में)

6. भुगतान का प्रकार 0 चालान भुगतान (नकद, जांच, डिमांड ड्राफ्ट) 0 ऑनलाइन भुगतान

7. *निधि में दी गई राशि के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	राशि (रु. में)	धनराशि निधि में जमा करने की तारीख
(क)	कंपनियों के भुगतान न किए गए लाभांश खातों में राशि		
(ख)	किसी प्रतिभूतियों के आबंटन और प्रतिदाय के लिए देय कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व जमा राशि		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		

(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) तक में निर्दिष्ट राशि पर अर्जित ब्याज i. प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि ii. कंपनियों के पास परिपक्व जमाराशि iii. कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन के कारण खंड शेयर की बिक्री से आय		
(छ)	अधिमान शेयरों की विमोचन राशि		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

8.* वह वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित राशि है.....

अनुलग्नक

1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई है..... सलग्न करें

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें)

(प्ररूप जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

<p>प्ररूप संख्या आईपीएफ-2</p> <p><i>[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(8) के अनुसरण में]</i></p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>अदावाकृत और असंदत्त का कथन</p>
--	--	-----------------------------------

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने की प्रक्रिया का पालन करें।

टिप्पणी-2 -सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1.(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____
(पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) *कंपनी/बैंक की ई मेल पता.....

3. (क) *समाप्त वित्तीय वर्ष (दिन/मास/वर्ष)

(ख) *वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख या नियत तारीख, जो भी पहले हो..... (दिन/मास/वर्ष)

4.*क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में रजिस्ट्रीकृत है 0 हां 0 नहीं

5. कंपनी के लघु शेयरधारकों की संख्या.....

6. कंपनी के लघु निक्षेपकर्ताओं की संख्या.....

7. अदावाकृत और असंदत्त रकम का ब्यौरे

(क) अदावाकृत और असंदत्त लाभांश की रकम

(ख) प्राप्त धन आवेदन की रकम

(ग) *परिपक्व निक्षेप की रकम

(घ) *परिपक्व डिबेंचर की रकम

(ड) उपरोक्त खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर उद्भूत व्याज

(i) *प्रतिदाय के लिए सम्यक धन का आवेदन

(ii) *कंपनी के परिपक्व निक्षेप

- (iii) *कंपनी के परिपक्व डिबेंचर.....
- (च) *बोनस शेयर से जारी उद्भूत खंड शेयर आगमों की बिक्री
आमेलन या समामेलन
- (छ) अधिमन शेयर की रकम का मोचन
- (ज) अन्य
योग

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या के माध्यम से प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार घोषणा करता हूं कि प्ररूप की विषय वस्तु और उसके मुद्दों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और यह भी घोषणा करता हूं कि हम प्ररूप में लाए गए तथ्य सत्य सही और पूर्ण है और कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

*पदनाम.....

*निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।


(उपांतरित करें)

(प्ररूप जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

<p>प्ररूप संख्या आईईपीएफ-3</p> <p>[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उपधारा (6) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(3) के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>शेयरों और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित नहीं की गई अदावाकृत या असंदत्त लाभांश और शेयरों का कथन</p>
---	---	---

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण- सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. कंपनी का ब्यौरा

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____
(पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ग) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/बैंक का ई-मेल पता.....

2. आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित नहीं किए गए शेयरों और लाभांश का विशिष्टियां

*शेयरों की संख्या.....

शेयरों की कुल नामिक कुल राशि.....

ऐसे शेयरों पर संदत्त लाभांश की कुल राशि.....

3. * (दिन/मास/वर्ष) को समाप्त वित्तीय वर्ष

4. शेयरों और लाभांशों के ब्यौरे

*प्रविष्टियों /मामलों की संख्या.....

फोलियों संख्या/ डीपी पहचान-ग्राहक पहचान-खाता संख्या	प्रवर्ग	शेयरों का प्रकार

शेयरों की नामिक राशि	अदावाकृत और असंदत्त लाभांश की राशि	वह वित्तीय वर्ष जिससे यह संबंधित है	न्यायालय/अधिकरण प्राधिकारी का नाम	आदेश की तारीख

अनुलग्नक

1.* न्यायालय/अधिकरण/सांविधिक प्राधिकारी का आदेश (संलग्न करें);

2. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करें

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या.....

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

केवल शासकीय उपयोग के लिए (फाइलिंग विशिष्टियां लगाए)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर.....(जमा की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

<p>प्ररूप संख्या आईईपीएफ -4</p> <p>[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(5) के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित शेयरों का कथन</p>
---	--	--

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार 'विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने का प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण-2 -सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)..... (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) *कंपनी का ई मेल पता.....

3. (क)* आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए गए शेयरों की कुल अभिहित राशि.....

- (ख)* हस्तांतरित शेयरों की कुल संख्या.....
- 4.*प्ररूप आईआईपीएफ-1 का एसआरएन.....
5. *वह वित्तीय वर्ष जिससे यह राशि संबंधित है.....

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या.....

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईआईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईआईपीएफ-5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईआईपीएफ) से असंदत राशियों और शेयरों के दावे के लिए प्राधिकरण को आवंटन

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण- सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. आवेदक की विशिष्टियां

- (क) *आवेदक का नाम.....
- (ख) *आवेदक का पता.....
- (ग) दूरभाष संख्या.....
- (घ) मोबाइल संख्या.....

(ड.) ई-मेल पता

2. उस कंपनी/बैंक का विशिष्टियां जहां से राशि देय है

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ग) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/बैंक का ई मेल पता.....

3. दावाकृत शेयरों का ब्यौरा

फोलियों संख्या/डीपी-आईडी-ग्राहक-आईडी-खाता संख्या	प्रवर्ग	शेयर का प्रकार	शेयरों की संख्या	शेयर की कुल नामिक राशि

4. दावाकृत राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	विशिष्टियां	राशि (रूपए में)
(i)	लाभांश रकम	
(ii)	प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि	
(iii)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप	
(iv)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर	
(v)	प्रतिसंदाय के लिए देय आवेदन राशि पर अर्जित ब्याज	
(vi)	कंपनी के पास रखे परिपक्व जमा पर अर्जित ब्याज	
(vii)	कंपनी के पास रखे परिपक्व डिबेंचरों पर अर्जित ब्याज	
(viii)	कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन आईईपीएफ के खाते में जमा लाभांश पर अर्जित ब्याज	
(ix)	बोनस शेयर, विलयन, समामेलन के जारी होने से उत्पन्न आंशिक शेयरों की विक्री से प्राप्त आय	
(x)	अधिमान शेयरों की मोचन राशि	
(xi)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	
	कुल	

टिप्पण: यदि आवेदक के पास दावाकृत राशि संबंधी कोई सूचना नहीं है तो उपर्युक्त संबंधित स्तंभ को रिक्त छोड़ा जा सकता है।

*दावों की संख्या.....

8. रद्द चेक प्रति

9. पासपोर्ट की प्रति, ओसीआई और पीआई कार्ड विदेशियों और एनआरआई के मामलों में।

10. अन्य वैकल्पिक दस्तावेज (यदि कोई हो)

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो उल्लेख करता है कि-

“अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय यदि कोई विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो या अधिनियम के किसी उपाबंधों के उद्देश्य के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कथन करता है,-

(क) जो कि तात्विक विवरणों में झूठा है जिसे झूठा होने का ज्ञान है; या

(ख) जो कोई तात्विक तथ्य को छुपाता है जिसका तात्विक होने का ज्ञान है,

वह धारा 447 के अंतर्गत जिम्मेदार होगा।”

(उपांतरित करें)

(प्ररूप जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

केवल शासकीय उपयोग के लिए

(फाइलिंग विशिष्टियां लगाए)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर.....

एतद्वारा यह ई-प्ररूप अनुमोदित किया जाता है

एतद्वारा यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है (जमा की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-6

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 8 के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को स्थानांतरित की जाने वाली अदावाकृत या असंदत्त राशियों का विशिष्टियां

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी]

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखे।

टिप्पण- सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. (क)* कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/.....(पूर्व पूरित)

बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख)* कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम.....

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग)*कंपनी/ बैंक का ई-मेल पता.....

3. *वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख.....

4. *पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में आईईपीएफ को जमा की जाने वाली देय राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	विशिष्टियां	रूपए (राशि में)	वह तारीख, जिसके भीतर राशियों को निधि में जमा किया जाना है।
(क)	कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते में राशि		
(ख)	किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त और प्रतिसंदाय के लिए देय आवेदन राशि		
(ग)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट राशि पर प्राप्त ब्याज		
	(i) प्रतिसंदाय के लिए देय आवेदन राशि		
	(ii) कंपनी के परिपक्व निक्षेप		
	(iii) कंपनी के परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर, विलयन, और समामेलन के जारी होने से उत्पन्न खंड शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय		
(छ)	अधिमान शेयरों की मोचन राशि		
(ज)	अनुदान और संदाय		
(झ)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	योग		

5. आईईपीएफ को जमा की गई राशि का ब्यौरा

संगत प्ररूप आईईपीएफ-6 का एसआरएन.....(पूर्व पूरित)

संगत प्ररूप आईईपीएफ-1 का एसआरएन.....(पूर्व पूरित)

क्र. सं.	विशिष्टियां	पूर्व वर्ष में स्थानांतरण के लिए रिपोर्ट की गई राशि (रूपए में)	वास्तविक स्थानांतरित राशि (रूपए में)	विचलन के कारण
(क)	कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते में राशि			
(ख)	किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त और प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि			
(ग)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप			
(घ)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर			
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट राशि पर प्राप्त ब्याज			

	(i) पुनर्संदाय के लिए देय आवेदन राशि			
	(ii) कंपनी के परिपक्व निक्षेप			
	(iii) कंपनी के परिपक्व डिवेंचर			
(च)	बोनस शेयर, आमेलन और समामेलन के जारी होने से उत्पन्न खंड शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय			
(छ)	अधिमान शेयरों की संदाय अधिमान राशि			
(ज)	अनुदान और संदान			
(झ)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	योग			

अनुलग्नक

1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो (संलग्न करें)

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या

सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या

बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें)

(प्ररूप जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

[फा. सं. 05/27/2013-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2016

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 7th September 2016.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Companies Act 2013;

(b) “Authority” means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(c) “Chairperson” means the chairperson of the authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act;

(d) “Company” means company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes ‘corresponding new bank’ as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(e) “Existing IEPF” means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(f) “Fund” means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 125 of the Act;

(g) “Investor” means any person, who has committed money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;

(h) “Member” means member of the Authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act; and

(i) “Section” means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3. Fund.— (1) The Authority shall administer the Fund.

(2) There shall be credited to the Fund, the following amounts, namely:—

(a) all amounts payable as mentioned in clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act;

(b) all shares in accordance with sub-section (6) of section 124 of the Act;

(c) all the resultant benefits arising out of shares held by the Authority under clause (b);

(d) all grants, fees and charges received by the Authority under these rules;

(e) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government;

(f) all income earned by the Authority in any year;

(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; and

(h) all other sums of money collected by the Authority as envisaged in the Act.

(3) In case of term deposits and debentures of companies, due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the Fund along with the transfer of the matured amount of such term deposits and debentures.

(4) (a) All the money, which accrue under sub section (2) [except clause (g)] of section 125 of the Act shall be deposited in the Consolidated Fund of India under the Major Head '0075- Miscellaneous General Services – 104 - Unclaimed and Unpaid dividends, deposits and debentures etc.'. Such sums along with amount deposited under section 205C of the Companies Act, 1956 shall be transferred to the Fund in the non-interest bearing Public Account after taking due approval of Parliament through Appropriation Act. This non-interest bearing Public Account shall be termed as IEPF Fund and shall be utilised for the purposes provided under sub-section (3) of section 125 of the Act.

(b) (i) All amounts remitted by the companies shall initially be accounted for under the following heads of Accounts:-

Major Head 0075 – Miscellaneous General Services

Minor Head 104 - Unpaid dividend of Companies.

(ii) Grants and donations given to the Fund by the State Governments, Companies or any other institutions for the purpose of the Fund as also the interest or other income received out of the Investments made from the Fund shall be credited to a separate sub-head under "800 – Other Receipts" below the MH 0075 – Misc. General Services.

(iii) Amount booked under the above receipt head shall be transferred to the Fund account under Major Head '8235 – General and other Reserve Fund – 116 – IE & PF' by the PAO, Ministry of Corporate Affairs after making suitable budget provision under Major Head '3451 – Secretariat Economic Services 797 – Transfer to Reserve Fund Deposit Account – Transfer to Investor's Education and Protection Fund'. In case the amounts of receipts in a year is more than the budget provision made under Major Head 3451 transfer to the Fund, the difference shall be transferred to the Fund in subsequent year, after obtaining approval of the Budget Division of Department of Economic Affairs and after making adequate budget provision in the relevant year.

(iv) Budget provision in connection with the activities to be financed from the Fund shall be made under Major Head 3451 – Secretariat Economic Services 090 Secretariat – Investor's Education and Protection Fund. Actual expenditure under the head shall be recouped from the Fund and the amount so recouped shall be accounted for under the Major Head '3451' as Deduct entry below Minor Head '902 – Deduct – amount met from Investor's Education and Protection Fund' with contra debit to Major Head – '8235 – General and Other Reserve Funds -116 – Investor's Education and Protection Fund'.

4. **Accounts and audit.-** (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records as given in Schedule to these rules and prepare an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Authority shall be audited annually by the Internal Audit Party of the office of Chief Controller of Accounts and Comptroller and Auditor-General of India at such intervals and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

5. **Statement to be furnished to the Fund.-** (1) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act shall be remitted into the specified branches of Punjab National Bank, which is the accredited Bank of the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs and other authorised banks engaged by the MCA-21 system, within a period of thirty days of such amounts becoming due to be credited to the Fund.

(2) The amount shall be tendered by the companies along with challan (in triplicate) to the specified Bank Branches of Punjab National Bank and other authorised banks under MCA-21 system who will return two copies of the challan, duly stamped in token of having received the amount, to the Company. The third copy of the challan will be forwarded along with the daily credit scroll by the receiving branch to its Focal Point Branch of the Bank for onward transmission to the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs.

(3) Every company shall file with the concerned Authority one copy of the challan referred to in sub-rule (2) indicating the deposit of the amount to the Fund and shall fill in the full particulars of the amount tendered, including the head of account to which it has been credited.

(4) The company shall, along with the copy of the challan as required under sub-rule (3), furnish a Statement in Form No. IEPF 1 containing details of such transfer to the Authority within thirty days of submission of challan.

(5) The amount may also be remitted by Electronic Fund Transfer in such manner, as may be specified by the Central Government.

(6) (a) On receipt of the statement, the Authority shall enter the details of such receipt in a Register maintained physically or electronically by it in respect of each company every year, and reconcile the amount so remitted and collected, with the concerned designated bank on monthly basis.

(b) Each designated bank shall furnish an abstract of such receipts during the month to the Authority within seven days after the close of every month.

(c) The company shall maintain record consisting of name, last known address, amount, folio number or client ID, certificate number, beneficiary details etc. of the persons in respect of whom unpaid or unclaimed amount has remained unpaid or unclaimed for a period of seven years and has been transferred to the Fund and the Authority shall have the powers to inspect such records.

(7) The provisions of this rule shall be applicable *mutatis mutandis* in respect of the amounts to be credited to the Fund in pursuance of clauses (h) to (m) of sub-section (2) of section 125.

(8) Every company shall within a period of ninety days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts, as referred in sub-section 2 of section 125 of the Act, as on the date of holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act, separately furnish and upload on its own website and also on website of Authority or any other website as may be specified by the Government, a statement or information through Form No. IEPF 2, separately for each year, containing following information, namely:-

- (a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;
- (b) the nature of amount;
- (c) the amount to which each person is entitled;
- (d) the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and
- (e) such other information as may be considered relevant for the purposes.

6. **Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.**- (1) The shares shall be credited to an IEPF suspense account (on the name of the company) with one of the depository participants as may be identified by the Authority within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed.

(2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.

(3) The company shall follow the following procedure, namely:-

(a) The company shall inform at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation, and on their website giving details of such shareholders and shares due for transfer:

Provided that in cases, where the seven years as provided under sub-section (5) of section 124 have been completed or are being completed within three months from the date of coming into force of these rules, the company shall initiate the aforesaid procedure immediately and transfer the shares on completion of three months;

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year;

(c) For the purposes of effecting the transfer where the shares are dealt with in a depository,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall sign on behalf of such shareholders, the delivery instruction slips of the depository participants where the shareholders had their accounts for transfer in favour of IEPF suspense account (name of the company);

(ii) on receipt of the delivery instruction slips, the depository shall effect the transfer of shares in favour of the Fund in its records.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is "Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF" and the word "duplicate" shall be stamped or punched in bold letters across the face of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH 2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the Company Secretary or the person authorised by the Board, shall sign the necessary Form No. SH 4 i.e., securities transfer Form as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, for transferring the shares in favour of the Fund;

(v) on receipt of the duly filled transfer forms along with the duplicate share certificates, the Board or its Committee shall approve the transfer and thereafter the

transfer of shares shall be effected in favour of the Fund in the records of the company.

(4) The company or depository, as the case may be, shall preserve copies of the depository instruction slips, transfer deeds and duplicate certificates for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Fund in Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) Once the physical shares are transferred in the name of the Authority, the Authority shall dematerialise these shares and it shall keep only those shares in physical form, where dematerialisation of shares is not possible.

(8) The Authority shall maintain IEPF suspense account (name of the company) with depository participant on behalf of the shareholders who are entitled for the shares and all benefits accruing on such shares e.g. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except right issue shall also be credited to such IEPF suspense account (name of the company).

(9) The shares held in such IEPF suspense account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

(10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

7. **Refunds to claimants from Fund.** - (1) Any person, whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares, etc. has been transferred to the Fund, may claim the shares under provision to sub-section (6) of section 124 or apply for refund, under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by making an application in Form IEPF 5 online available on website www.iepf.gov.in along with fee, as decided by the Authority from time to time in consultation with the Central Government, under his own signature.

(2) The claimant shall after making an application online in Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.

(3) The company shall, within fifteen days of receipt of claim form, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all documents submitted by the claimant.

(4) After verification of the entitlement of the claimant-

(a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines.

(b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall either credit the shares which are lying with depository participant in IEPF suspense account (name of the company) to the demat account of the claimant to the extent of the claimant's entitlement or in case of the physical certificates, if any, cancel the duplicate certificate and transfer the shares in favour of the claimant.

(5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).

(6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed of by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.

(7) In cases, where the application is incomplete, a communication shall be sent to the claimant by the Authority detailing deficiencies of the application.

(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered security holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.

(9) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.

(10) The company shall be solely liable under all circumstances whatsoever to indemnify the IEPF Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise. The IEPF Authority shall not be liable to indemnify the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc leading to any litigation or complaint arising thereof.

8. Power to direct payment of amount due to the Fund. - (1) The company shall furnish a statement to the Authority in Form No. IEPF 6 within thirty days of end of financial year stating therein the amounts due to be transferred to the Fund in next financial year.

(2) The company shall also furnish a statement to the authority within thirty days of the closure of its accounts for the financial year stating therein the reasons of deviation, if any, of amounts detailed in sub-rule (1) above and actual amounts transferred to the Fund.

(3) Authority shall furnish a report to the Central Government within sixty days of end of financial year giving details of companies who have failed to transfer the due amount to the Fund.

(4) Authority shall also furnish a report to the Central Government by end of next financial year giving details of companies who have failed to file information referred to in sub-rule (8) of rule 5.

9. Transfer of assets, liabilities, etc., of the existing IEPF to the Authority.- On and from the date of establishment of the Authority,—

(a) any reference to the existing IEPF in any law other than these rules or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the Authority;

(b) all properties and assets, movable and immovable, of, or belonging to, the existing IEPF, shall vest in the Authority;

(c) all rights and liabilities of the existing IEPF shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the Authority;

(d) without prejudice to the provisions of clause (c), all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the existing IEPF immediately before that date, for or in connection with the purpose of the said existing IEPF shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for, the Authority;

(e) all sums of money due to the existing IEPF immediately before that date shall be deemed to be due to the Authority; and

(f) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the existing IEPF, immediately before that date may be continued or may be instituted by or against the Authority.

10. **Returns and reports.**- (1) The Authority shall furnish to the Central Government at such time and in such form and manner as may be specified or as the Central Government may direct, such returns and statements and such particulars with regard to its activity.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the Authority shall, within one hundred and eighty days after the end of each financial year, submit to the Central Government a report in such form, as may be specified, giving a true and full account of its activities during the previous financial year.
11. **Protection of action taken in good faith.**- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or Authority or any officer of the Central Government or any member, officer or other employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under these rules.
12. **Repeal and savings.** - (1) The Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001 and Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the rules repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

REGISTERS AND BOOKS OF ACCOUNT TO BE MAINTAINED BY THE AUTHORITY

- (i) Register of Shares transferred under sub-section (6) of section 124
- (ii) Central Cash Book
- (iii) Company wise Ledger
- (iv) General Ledger
- (v) Cashier's Cash Book
- (vi) Bank Ledger
- (vii) Register of Assets
- (viii) Investment Register
- (ix) Claim Register
- (x) Refund Register
- (xi) Suspense Register
- (xii) Documents Register
- (xiii) Any other register or Book as decided by Authority

FORM NO. IEPF-1

[Pursuant to rule 5(4) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language English Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 – Please take a note that this form has to be filled only for one Financial Year at a time.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/
Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3.* Service request number (SRN) in respect of payment made to the fund

4. Date of payment of amount to the fund (DD/MM/YYYY)

5. Amount credited to the fund (in Rs.)

6. Mode of payment Challan payment (Cash, Cheque, Demand draft) Online Payment

7. *Details of the amount credited to the fund

S. No	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of		

	issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		
	Total		

8. * Financial Year to which the amount relates

Attachments

1. Optional attachments, if any.

Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated *
(DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO

or CFO; or Membership number of the company

secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

(h) Others

Total**Declaration**

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated *
(DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or

CFO; or Membership number of the secretary; or

PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-3

[Pursuant to sub-section (6) of section 124 of the Companies Act, 2013 and rule 6(3) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Statement of shares and unclaimed or unpaid dividend not transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language English Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Details of the Company

(a) *Corporate identity number (CIN) of company/

Pre fill

Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) Name of the company/bank

(c) Address of registered office of the company/bank

(d) *email id of the company/bank

2. Details of shares and dividend not transferred to IEPF account

*Total number of shares

Total nominal amount of the shares

Total amount of unpaid dividend on such shares

3. *Financial year ended as on **(DD/MM/YYYY)**

4. Details of shares and dividend

*Number of entries/cases

Folio No./ DP ID- Client ID- Account number	Category	Kind of shares

Nominal amount of shares	Amount of unclaimed and unpaid dividend	Financial year to which it relates	Name of the court/ tribunal/ authority	Date of order

Attachments

1. *Order of the court/tribunal/statutory authority;

Attach

2. Optional attachments, if any

Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* (DD/MM/YYYY)


Dated *

to sign and submit this form. To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation	<input style="width: 95%;" type="text"/>
*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank	
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.	
<input type="button" value="Modify"/> <input type="button" value="Check Form"/> <input type="button" value="Prescrutiny"/> <input type="button" value="Submit"/>	
For office use only:	
<input type="button" value="Affix filing details"/>	
eForm Service request number (SRN)	<input style="width: 150px;" type="text"/> eForm filing date <input style="width: 100px;" type="text"/> (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	
Digital signature of the authorising officer	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> <input type="button" value="Confirm submission"/>
Date of signing	<input style="width: 100px;" type="text"/> (DD/MM/YYYY)

FORM NO. IEPF-4		Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund
[Pursuant to rule 6(5) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]		
सत्यमेव जयते		
Form language <input type="radio"/> English <input type="radio"/> Hindi		
Refer instruction kit for details.		
Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.		
Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.		
1(a). * Corporate identity number (CIN) of company	<input style="width: 250px;" type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
(b). Global location number (GLN) of company	<input style="width: 250px;" type="text"/>	
2(a). Name of the company	<input style="width: 550px; height: 25px;" type="text"/>	
(b). Address of the registered office of the company	<input style="width: 550px; height: 80px;" type="text"/>	
(c) *e-mail ID of the company	<input style="width: 550px;" type="text"/>	

3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) *Total number of shares transferred

Prefill

4. *SRN of form IEPF-1

5. * Financial Year to which the amount relates

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated *
(DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or Income-tax permanent account number
of the manager or CEO or CFO; or Membership number
of the secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-5

[Pursuant to sub-section (3) of section 125 of the Companies Act, 2013 and rule 7(1) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Form language O English O Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Particulars of the applicant

(a) *Name of the applicant

(b) *Address of the applicant

(c) Phone number

(d) Mobile Number

(e) E-mail ID

2. Particulars of the Company/Bank from which the amount is due

(a) *Corporate identity number (CIN) of company/

Pre-fill

Bank Corporate Identification Number (BCIN)

(b) Name of the company/bank

(c) Address of registered office of the company/bank

(d) email id of the company/bank

3. Details of shares claimed

Folio No./ DP ID -Client ID- Account number	Category	Kind of share	Number of shares	Total nominal amount of the share

4. Details of amount claimed

S No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(i)	Dividend amount	
(ii)	Application money due for refund	
(iii)	Matured deposits with company	
(iv)	Matured debentures with company	
(v)	Interest accrued on application money due for refund	
(vi)	Interest accrued on matured deposits with company	
(vii)	Interest accrued on matured debentures with company	
(viii)	Interest accrued on dividend credited to IEPF under the Companies Act, 1956	
(ix)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	
(x)	Redemption amount of preference shares	
(xi)	Others, specify <input type="text"/>	
	Total	

Note: If applicant doesn't have any information on amount claimed then the related column above may be left blank.

*Number of claims

Year wise details of securities / deposits for which the amount is claimed

Nature of claim (1)	Amount of the claim (2)	Financial year to which it relates (3)	Nature of security/ deposit (4)	Folio No./DP ID-Client ID- Account Number (5)	Category (6)	Reason for non-receipt/non-encashment of the instrument of payment (7)

5. *Aadhaar Number or Passport/OCI/PIO Card No. (in case of NRI/foreigners)

6. *Details of bank account (Aadhar linked, in case applicant is not NRI/foreigner) in which refund of claim to be made

(a) Bank account number

(b) Bank name

(c) Bank branch

(d) Type of account O Saving O Current

(e) IFSC code

7. Demat account number

Declaration

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall to send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim

1. Print out of duly filled claim form with claimant signature
2. Copy of acknowledgement
3. Indemnity Bond (original) with claimant signature
4. Advance Stamped receipt (original)
5. In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto
6. Copy of Aadhaar Card
7. Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.)
8. Cancelled Cheque leaf
9. Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI
10. Other optional document,(if any)

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-

"Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material,

he shall be liable under section 447."

For office use only :

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

FORM NO. IEPF-6

[Pursuant to rule 8 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]



Statement of unclaimed or unpaid amounts to be transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

- 1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/
 Bank Corporate Identification number (BCIN) Pre fill
- (b) Global Location Number(GLN) of company
2. (a) Name of the company/bank
- (b) Address of registered office of the company/bank
- (c) *email id of the company/bank
3. *Financial year end date
4. *Details of the amount due to be credited to the IEPF in subsequent financial year

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should be credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others, specify <input type="text"/>		
	Total		

5. Details of the amount credited to the IEPF

SRN of relevant form IEPF-6

Pre fill

SRN of relevant form IEPF-1

Pre fill

S No	Particulars	Amount reported for transfer in last year (in Rupees)	Amount actually transferred (in Rupees)	Reasons for deviation
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies			
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund			
(c)	Matured deposits with companies			
(d)	Matured debentures with companies			
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above			
	(i) Application money due for refund			
	(ii) Matured deposits with companies			
	(iii) Matured debentures with companies			
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation			
(g)	Redemption amount of preference shares			
(h)	Grants and donation			
(i)	Others, specify <input type="text"/>			
	Total			

Attachments

2. Optional attachments, if any

Attach

List of Attachment(s)

Remove

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated
*(DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

*Designation

* DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or
CFO; or Membership number of the secretary; or
PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.